न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

(पीठासीन न्यायाधीश – बलराम प्रसाद वर्मा)

विविध दांडिक प्रक०क्रमांक 80/2025

सैय्यद जब्बार अली, उम्र 58 वर्ष,
पिता मरहूम अब्दुल अली
निवासी– ग्राम दादर गांव,
तहसील–छुरा, जिला–गरियाबंद, छ.ग. । ------ **आवेदक**

– विरूद्ध –

चंदन कुमार मत्स्यपाल, उम्र 34 वर्ष,
पिता श्री ध्रुव कुमार मत्स्यपाल
निवासी– आर.डी.ए. कालोनी, टिकरापारा,
रायपुर, तह.व जिला–रायपुर, छ.ग. । ----- **अनावेदक**

आवेदक द्वारा श्री राकेश शुक्ला, अधिवक्ता ।
अनावेदक द्वारा श्री जगदीश कुमार अग्रवाल, लोक अभियोजक ।

– आदेश –

(आज दिनांक 03.12.2025 को पारित किया गया)

1. इस आदेश द्वारा आवेदक के आवेदन अंतर्गत धारा 448 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का निराकरण किया जा रहा है ।

2. आवेदक का आवेदन एवं तर्क संक्षेप में इस प्रकार है कि श्रीमती स्वर्णलता ओम यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, रायपुर के दांडिक प्रकरण क्रमांक 1816/2018 चंदन कुमार मत्स्यपाल विरूद्ध सैय्यद जब्बार अली में दिनांक 30.01.2025 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय के विरूद्ध अपील आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो वर्तमान में श्री डमरूधर चौहान, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय में दांडिक अपील क्रमांक 93/2025 के रूप में लंबित है । इसी प्रकार अनावेदक/परिवादी के भाई नीलेश मत्स्यपाल द्वारा जिला सहकारी बैंक मर्यादित छुरा, जिला गरियाबंद के अनादरित चेक क्रमांक 300188 चेक राशि 8,96,000/– रूपये की वसूली के संबंध में एक व्यवहारवाद क्रमांक 19 बी/2019 नीलेश मत्स्यपाल विरूद्ध सैय्यद जब्बार प्रस्तुत

किया गया है, जो तृतीय अपर जिला न्यायाधीश रायपुर के न्यायालय में लंबित है । उक्त दोनों प्रकरण उधारी रकम लेनदेन के एक ही संव्यवहार, विवाद एवं एक ही धनादेश से संबंधित है, परंतु उनकी सुनवाई अलग–अलग न्यायालयों द्वारा की जा रही है, जिन्हें सुनवाई हेतु एक न्यायालय को अंतरित किया जाना आवश्यक है । उक्त आधार पर दोनों प्रकरणों को एक न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने की याचना की गई है ।

3. अनावेदक द्वारा आवेदन के जवाब एवं तर्क में यह बताया गया है कि दांडिक अपील क्रमांक 93/2025 की प्रकृति दांडिक है, जबकि व्यवहारवाद क्रमांक 19 बी /2019 दीवानी प्रकृति की है, जिन्हें एक न्यायालय को अंतरित नहीं किया जा सकता है । नीलेश कुमार द्वारा प्रस्तुत उक्त व्यवहारवाद में निर्णय एवं आज्ञप्ति पारित की जा चुकी है । अतः अंतरण आवेदन पत्र विधि विरूद्ध एवं प्रचलनशील न होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4. अब आवेदन के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न है कि– **"क्या धारा 448 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है?"**

// <u>सकारण निष्कर्ष</u> //

5. उक्त आवेदन के निराकरण हेतु श्री डमरूधर चौहान, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय में लंबित दांडिक अपील क्रमांक 93/2025 सैय्यद जब्बार अली विरूद्ध चन्दन कुमार के मूल अभिलेख एवं श्री शैलेश शर्मा, तृतीय जिला न्यायाधीश, रायपुर के निराकृत व्यवहारवाद क्रमांक 19 बी/ 2019 नीलेश कुमार मत्स्यपाल विरूद्ध सैय्यद जब्बार अली एवं अन्य, निर्णय दिनांक 12.09.2025 का अवलोकन किया गया।

6. श्री डमरूधर चौहान, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय में लंबित दांडिक अपील क्रमांक 93/2025 सैय्यद जब्बार अली विरूद्ध चन्दन कुमार के अवलोकन से दर्शित होता है कि उक्त दांडिक अपील श्रीमती स्वर्णलता ओम यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, रायपुर के द्वारा दांडिक

प्रकरण क्रमांक 1816/2018 चंदन कुमार मत्स्यपाल विरूद्ध सैय्यद जब्बार अली में दिनांक 30.01.2025 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

7. इसी प्रकार श्री शैलेश शर्मा, तृतीय जिला न्यायाधीश, रायपुर के निराकृत व्यवहारवाद क्रमांक 19 बी/ 2019 नीलेश कुमार मत्स्यपाल विरूद्ध सैय्यद जब्बार अली एवं अन्य, निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 12.09.2025 के अवलोकन से दर्शित होता है कि उक्त व्यवहारवाद वादी नीलेश कुमार द्वारा प्रतिवादीगण सैय्यद जब्बार अली एवं सैय्यद सलमान अली के विरूद्ध जिला सहकारी बैंक मर्यादित छुरा, जिला गरियाबंद के अनादरित चेक क्रमांक 300188 चेक राशि 8,96,000/– रूपये राशि की वसूली के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है । उक्त व्यवहारवाद के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि उक्त प्रकरण में दिनांक 12.09.2025 को निर्णय एवं आज्ञप्ति पारित की जा चुकी है । इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्तमान में व्यवहारवाद क्रमांक 19 बी/2019 नीलेश कुमार मत्स्यपाल विरूद्ध सैय्यद जब्बार अली एवं अन्य का निराकरण हो चुका है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंतरण आवेदन पत्र के माध्यम से दांडिक अपील क्रमांक 93/2025 के साथ–साथ उक्त व्यवहारवाद क्रमांक 19 बी/2019 को सुनवाई हेतु एक न्यायालय को अंतरित किया जाना चाहा जा रहा है । ऐसी स्थिति में जबकि व्यवहारवाद क्रमांक 19 बी/2019 नीलेश मत्स्यपाल विरूद्ध सैय्यद जब्बार अली एवं अन्य का निराकरण हो चुका है । उक्त प्रकरण को स्थानांतरित किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है ।

8. यदि विधिक स्थिति पर विचार किया जावे तो आवेदक/अभियुक्त द्वारा मौजूदा स्थानांतरण आवेदन पत्र धारा 448 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत् प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा दांडिक प्रकरणों का ही

अंतरण किया जा सकता है । उक्त धारा के अंतर्गत दीवानी प्रकरणों को स्थानांतरित किये जाने के संबंध में कोई उपबंध नहीं है । ऐसी स्थिति में भी इस आवेदन पत्र के माध्यम से व्यवहारवाद क्रमांक 19 बी/2019 को किसी अन्य न्यायालय में अंतरित नहीं किया जा सकता है । वैसे भी व्यवहारवाद क्रमांक 19 बी/2019 का निराकरण दिनांक 12.09.2025 को न्यायालय श्री शैलेश शर्मा, तृतीय जिला न्यायाधीश, रायपुर द्वारा किया जा चुका है तथा अन्य दो दांडिक अपील क्रमांक 93/2025 एवं 94/2025 श्री डमरूधर चौहान, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय में अर्थात एक ही न्यायालय के समक्ष लंबित है ।

9. अतः उक्त संपूर्ण स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा धारा 448 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 सारहीन होने से निरस्त किया जाता है ।

10. इस आदेश की प्रतिलिपि के साथ संबंधित न्यायालय का मूल अभिलेख वापस भेजा जावे।

BALRAM PRASAD VERMA
Digitally signed by BALRAM PRASAD VERMA
Date: 2025.12.05 17:06:44 +0530

रायपुर,
दिनांक 03.12.2025

(बलराम प्रसाद वर्मा)
सत्र न्यायाधीश, रायपुर,
छ.ग.।